

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोकसभा

तारांकित प्रश्न सं. 3938

(जिसका उत्तर सोमवार 18 अगस्त, 2025 /27 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है)

**प्रतिभूति बाजार में धोखाधड़ी की योजनाएँ**

+3938. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) प्रतिभूति बाजार में धोखाधड़ी वाली पंप-एंड-डंप योजनाओं से छोटे और खुदरा निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार और सेबी द्वारा क्या उपाय किए गए/किए जाने हैं;
- (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) किस प्रकार यह सुनिश्चित करने की योजना बना रहा है कि हाल ही में रिपोर्ट किए गए 300 करोड़ रुपये के पंप-एंड-डंप घोटाले की जांच, जो कथित तौर पर 4,000 से अधिक निवेशकों को प्रभावित कर रहा है, समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से की जाए, और बाजार में हेरफेर करने वालों और मिलीभगत करने वाले बिचौलियों सहित सभी अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जा सके;
- (ग) सूचीबद्ध शेयरों, विशेष रूप से स्मॉल-कैप और माइक्रो-कैप खंडों में पंप-एंड-डंप गतिविधियों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से नियामक सुधार या तकनीकी उपाय प्रस्तावित हैं या कार्यान्वित किए जा रहे हैं; और
- (घ) क्या सरकार के पास पिछले पांच वर्षों के दौरान सेबी द्वारा रिपोर्ट किए गए और जांचे गए पंप-एंड-डंप मामलों की संख्या संबंधी आंकड़ा है, और इस संबंध में निवेशकों के कुल अनुमानित नुकसान और दंड क्या है तथा इस संबंध में कौन सी प्रवर्तन कार्रवाई की गई है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ग): भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बाजार स्थिरता को कार्यान्वित करने और शेयर बाजार में निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए विनियामक और निगरानी ढांचे स्थापित किए हैं।

1. यह बाजार की विश्वसनीयता को बढ़ाने और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिभूति बाजारों में रुझानों की नियमित निगरानी करता है। प्रतिभूतियों की कीमतों में असामान्य वृद्धि

की जाँच के लिए निगरानी प्रणालियाँ स्थापित की जाती हैं जो कंपनियों के मूल सिद्धांतों के अनुरूप नहीं होती हैं।

2. सेबी के निगरानी तंत्र द्वारा सृजित अलर्ट और विनियमों के गैर-अनुपालन का आरोप लगाने वाली शिकायतों को सेबी द्वारा बाजार आसूचना के लिए इनपुट के रूप में माना जाता है।

3. ट्रेडिंग सदस्यों को स्क्रिप-विशिष्ट चेतावनी संदेश प्रसारित करने का भी निर्देश दिया गया है ताकि निवेशकों में जागरूकता बढ़े और उन्हें सावधान किया जा सके।

4. सेबी, स्टॉक एक्सचेंजों और डिपॉजिटरी के साथ समन्वय करते हुए, देश के विभिन्न हिस्सों में नियमित निवेशक शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम भी चलाता है। ये निःशुल्क कार्यक्रम, अन्य बातों के साथ-साथ, मूलभूत निवेश सिद्धांतों, उत्पाद विशेषताओं, अंतर्निहित जोखिमों, निवेशकों के अधिकारों और जिम्मेदारियों, निवेश घोटालों के सामान्य अभिलक्षण, पंप और डंप योजनाओं, स्वस्थ डिजिटल प्रक्रियाओं आदि जैसे विभिन्न विषयों को कवर करते हैं।

5. सेबी ने वायदा और विकल्प (एफएंडओ) खंड से जुड़े जोखिमों और अस्थिरता के संबंध में निवेशक सुरक्षा और बाजार स्थिरता बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए हैं।

(ख): कुछ शेयरों में पंप और डंप के संबंध में प्राप्त बाजार आसूचना के मद्देनजर, इस मामले में सेबी द्वारा विस्तृत जांच चल रही है।

(घ): सेबी द्वारा सेबी (अंतरंग व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 (पीआईटी विनियम) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अऋजु व्यापरिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003 (पीएफयूटीपी विनियम) का प्रशासित किया जाता है, जिसमें पंप-एंड-डंप योजनाएं, फ्रंट रनिंग आदि शामिल हैं। पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान रिपोर्ट किए गए पंप और डंप मामलों की संख्या नीचे दी गई है:

विवरण	रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या				
	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25
पंप और डंप	43	11	34	41	25
नोट: ये आकड़े प्राप्त शिकायतों की संख्या पर आधारित है					

अप्रैल 2020 और मार्च 2025 के बीच, सेबी ने सेबी पीएफयूटीपी विनियम, 2003 के तहत कुल ₹1,860.03 करोड़ का जुर्माना लगाया और ₹452.60 करोड़ के गैरकानूनी लाभ की वसूली (डिस्गॉर्जमेंट) के निर्देश पारित किए।